

रामजी पटेल एवं अन्य

बनाम

नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच एवं अन्य।

फ़रवरी १७, २०००

[ऐस. सगीर अहमद, आर. सी. लाहोटी एवं वाई. के. सब्बरवाल, जे जे.]

एमपी मवेशी (नियंत्रण) अधिनियम, 1978-जल प्रदूषण का नियंत्रण पहले की जनहित याचिका में- डेयरियों के मालिक अपनी डेयरियों को गांवों 'एल' और 'जी' में स्थानांतरित कर रहे थे-नई जनहित याचिका में यह आरोप लगाते हुए कि गाय का गोबर आदि उसके पास से जाने वाली पानी की पाइपलाइन को दूषित कर सकता है डेयरी मालिकों को एल और जी गांवों से अपनी डेयरियां बंद करने का निर्देश देने के लिए याचिका दायर की गई थी- उच्च न्यायालय ने डेयरी मालिकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-अपील की अनुमति दी - सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्षेत्र का दौरा कर एक परियोजना रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया - बोर्ड बायो गैस संयंत्रों की स्थापना की सिफारिश कर रहा है - कुछ डेयरी मालिक बोर्ड की सिफारिश के अनुसार संयंत्र स्थापित करने में शुल्क का व्यय रहे हैं - अपील की लंबित अवधि के दौरान, नगर निगम ने 'एल' और 'जी' गांवों को "अपवर्जित गांव" की सूची से बाहर छोड़कर

दिनांक 19.03.1999 अधिसूचना जारी- निर्णित किया गया, अधिसूचना की वैधता को उस संबंध में दलीलों के अभाव में चुनौती नहीं दी जा सकती - डेयरी मालिकों को उच्च न्यायालय के समक्ष नई कार्यवाही में अधिसूचना को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई -भारत का संविधान, अनुच्छेद 21, 226 और 136।

मध्य प्रदेश मवेशी (नियंत्रण) अधिनियम, 1978 को 27 जनवरी, 1978 से जबलपुर की नगरपालिका सीमा के भीतर लागू किया गया था, और 24 सितंबर, 1979 को आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि अधिसूचना में निर्धारित सूची में निर्दिष्ट गांवों को छोड़कर, मवेशियों को जबलपुर नगर निगम की सीमा के भीतर नहीं रखा जा सकता था। 21.10.1997 को नगर निगम द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुसरण में इस सूची में गाँव 'जी' और 'एल' भी शामिल थे। 19.3.1999 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से दोनों गांवों 'जी' और 'एल' को "अपवादित गांवों" की सूची से बाहर कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने पहले की एक जनहित याचिका में डेयरी मालिकों को अपनी डेयरियाँ गाँव 'एल' और 'जी' में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, जिसे अधिनियम के संचालन से बाहर रखा गया था और अनुमति दी गई थी कि इन दोनों गाँवों में डेयरियाँ स्थापित की जा सकती

हैं और मवेशी रखे जा सकते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने एक और जनहित याचिका दायर की कि गाय के गोबर और डेयरी के कचरे के मुख्य पेयजल पाइपलाइन के निकट भंडारण के कारण शुद्ध पेयजल के दूषित होने की संभावना थी। उच्च न्यायालय ने इन डेयरियों को उनके वर्तमान स्थान से वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी। इसलिए यह अपील।

अपील पर सुनवाई करते हुए इस न्यायालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पाइपलाइन के माध्यम से किए जाने वाले पेयजल के प्रदूषण की संभावना को रोकने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बोर्ड ने अन्य बातों के अलावा बायो गैस संयंत्र स्थापित करने की सिफारिश की। डेयरी मालिकों में से एक बोर्ड को निरीक्षण शुल्क का भुगतान करने और बायो गैस प्लांट स्थापित करने में 5,86,000 रु का खर्च उठा रहा है। हालाँकि, इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, नगर निगम ने अधिनियम के तहत दिनांक 19.3.1999 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें "अपवर्जित गांवों" के दायरे से गांव 'एल' और 'जी' को बाहर कर दिया गया, जहां डेयरियां स्थित थीं।

मामलों का निपटारा करते हुए यह न्यायालय ने:

अभीनिर्धारित:1. शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नगर निगम का वैधानिक कर्तव्य है और प्रत्येक नागरिक को ऐसे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी

होगी। ऐसी स्थिति में, जहां समुदाय का हित शामिल है, व्यक्तिगत हित को समुदाय या आम जनता के हित के आगे झुकना चाहिए। चूँकि म.प्र. मवेशी (नियंत्रण) अधिनियम, 1978 जबलपुर शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर पहले से ही लागू है, वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के लिए डेयरियां स्थापित नहीं की जा सकती हैं और मवेशियों को नहीं रखा जा सकता है। लेकिन न्यायालय इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने, जो पहले ही एक जगह से उखाड़ दिए गए थे, और वह भी न्यायपालिका के आदेश पर, उस जगह पर डेयरियाँ स्थापित की थीं जहाँ ऐसी गतिविधि निषिद्ध नहीं थी। मवेशी (नियंत्रण) अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना में संलग्न गांवों की सूची में, अन्य गांवों के अलावा 'एल' और 'जी' गांव थे, जहां ऐसी गतिविधि कानूनी रूप से की जा सकती थी। 21.10.1997 को नगर निगम द्वारा अपनाए गए एक संकल्प के आधार पर इन गांवों को वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उस सूची से बाहर कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने पहले ही पांच लाख से अधिक की लागत से गोबर गैस प्लांट स्थापित करने में बड़ी रकम का निवेश किया है और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निरीक्षण शुल्क के लिए 93,000 रुपये का खर्च भी उठाया है।

2.1. दिनांक 21.10.1997 के संकल्प की जैसा कि दिनांक 19.3.1999 की राजपत्र अधिसूचना में दर्शाया गया है पर इस करवाई में कानूनी रूप से निर्णय नहीं दिया जा सकता। हालाँकि संकल्प केवल गांव 'एल' के सम्बन्ध में अपनाया गया था, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में गांव 'जी' का भी जिक्र किया गया है। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिसूचना को चुनौती देने का इरादा था, तो उन्हें उचित कार्यवाही शुरू करनी होगी जिसमें उन्हें ऐसी चुनौती के लिए आधार तैयार करना होगा ताकि राज्य सरकार या उस मामले में, नगर निगम को पर्याप्त अवसर मिल सके, जब अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए, विशेष रूप से उन्हें यह भी बताना होगा कि 1978 की अधिसूचना में निर्धारित "अपवर्जित गांवों" की सूची से केवल इन दो गांवों को क्यों बाहर किया गया था और अन्य गांवों में डेयरी स्थापित करने की गतिविधि को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया था, हालाँकि वे अन्य गाँव भी जबलपुर शहर की नगर निगम सीमा के भीतर थे।

2.2. 19.3.1999 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मद्देनजर, संबंधित स्थान पर या उस मामले के लिए, गांव 'एल' और 'जी' में दूध डेयरियों और मवेशियों को रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है न ही किसी को भी इसे उन गांवों में स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है, विशेष

रूप से जो गाँव मुख्य पाइपलाइन के नजदीक, जिसके माध्यम से जबलपुर शहर को पीने का पानी आपूर्ति किया जाता है।

2.3. सरकारी राजपत्र दिनांक 19.3.1999 में प्रकाशित अधिसूचना वैध है या नहीं, इसका निर्णय वर्तमान कार्यवाही में नहीं किया जा सकता क्योंकि उस संबंध में कोई दलील नहीं है। याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला होगा कि वे सभी आधारों पर इसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए उचित कार्यवाही शुरू करके अधिसूचना को चुनौती दें, जिसमें यह आधार भी शामिल है कि अधिसूचना नगर निगम के हाथों में सत्ता के रंगीन प्रयोग को दर्शाती है, या इसका इरादा इस न्यायालय में लंबित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का था, लेकिन ऐसी कार्यवाही याचिकाकर्ताओं को इस फैसले की तारीख के तीन महीने के भीतर शुरू करनी होगी। इन याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश उसके बाद तीन महीने और दो सप्ताह की अवधि के लिए जारी रहेंगे ताकि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का रुख कर सकें और अंतरिम राहत के लिए उचित आवेदन कर सकें।

[1021-एफ-एच]

2.4. चूंकि नगर निगम द्वारा दिनांक 19.3.1999 की अधिसूचना इस कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान उस चरण में जारी की गई थी जब इस न्यायालय ने पहले ही याचिकाकर्ता को एसएलपी (सी) संख्या 2927/1997 में बायो गैस प्लांट स्थापित करने की अनुमति दे दी थी और

याचिकाकर्ता का 5,86,000 रुपये का खर्च आया है, नगर निगम जबलपुर, सब्सिडी की वह राशि काटने के बाद जो सरकार द्वारा पहले ही भुगतान की जा चुकी हो एसएलपी (सी) संख्या 2927/1997 में याचिकाकर्ता को उस राशि का भुगतान करें जो दिनांक 19.3.1999 की अधिसूचना के अनुसार नए स्थानों पर उनके स्थानांतरण के समय और उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अधिसूचना को उनकी चुनौती को खारिज किए जाने की स्थिति में व्यय होगी। वह और विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या (सी) 2२९२७/९७ याचिकाकर्ता नंबर 1 भी याचिकाकर्ताओं के पृथक मामलों के दौरान प्रश्नगत निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए सभी लाभों के हकदार होंगे

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 2926/1997 आदि

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश 16.12.96 से डब्ल्यू.पी. 3220/1996. से

सी.एस. वैद्यनाथन, आर.एन. रावल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, गोपाल सुब्रमण्यम, सोभागमल जैन, गुलाब सी. गुप्ता, डॉ. राजीव धवन, एन.एन. गोस्वामी, अनूप जी. चौधरी, जी.एल. सांघी, प्रकाश श्रीवास्तव, शिव सागर तिवारी, राजेश श्रीवास्तव, कु. मधु ददलानी, सतीश के.

अग्निहोत्री, रंजन मुखर्जी, विजय पंजवानी, एम. वीरप्पा, के.एच. नोबिन
सिंह, वसीम ए. कादरी, सुश्री. सुषमा सूरी, एच.के. पुरी, बी. कृष्णा प्रसाद,

सुश्री. योगमाया, एस.एस. तिवारी, अशोक कुमार सिंह, राजीव शर्मा, प्रकाश यू. उपाध्याय, उज्ज्वल बनर्जी, रोमी चाको, पी. परमेश्वरन, प्रकाश के. श्रीवास्तव, ए.पी. धमीजा, डी.के. चोपड़ा, सुधांशु आत्रेय उपस्थित पार्टियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा एस. सगीर अहमद, जे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्थापित एक जनहित याचिका में, दिनांक 16.12.1996 के आक्षेपित निर्णय द्वारा निर्देशित किया है कि जबलपुर के बाहरी इलाके में स्थित डेयरियाँ शहर को उनके वर्तमान स्थान से वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित किया जाए। यह निर्णय रिट याचिका में पारित किया गया था जिसमें निम्नलिखित राहत मांगी गयी थी:

"(ए) उत्तरदाताओं को लालपुर, ग्वारीघाट में जल फिल्टरेशन प्लांट की पाइप लाइन पर से गाय/भैंस के गोबर और मूत्र को हटाने के लिए तत्काल उचित कदम एवं प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश देना।

(बी) उत्तरदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करें कि जैसा की याचिका में बताया गया है

लालपुर, ग्वारीघाट की जल आपूर्ति पाइप लाइन पर भविष्य में गाय/भैंस के गोबर और पशुओं के मूत्र का भंडारण न किया जा सके;

(सी) उत्तरदाताओं को उन व्यक्तियों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश देना जिन्होंने जल आपूर्ति पाइप लाइनों पर इन खतरनाक सामग्रियों को संग्रहीत किया है;

(डी) कोई अन्य आदेश/आदेश, रिट/रिट या निर्देश/निर्देश जो यह माननीय न्यायालय उपयुक्त और उचित समझे, कृपया भी दिया जा सकता है।"

मुख्य आधार जिस पर याचिका स्थापित की गई थी वह यह था कि मुख्य जल पाइपलाइनें, जो लालपुर निस्पंदन संयंत्र में निस्पंदन के बाद जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति करती थीं, उस स्थान से होकर गुजरती थीं जहां कई डेयरी-मालिकों ने पानी का भंडारण शुरू कर दिया था। गाय/भैंस का गोबर और डेयरी उत्पादों का अपशिष्ट, और वह भी उन पाइपलाइनों के पास, जिससे शहर के निवासियों को घरेलू उपभोग के लिए

आपूर्ति किए जाने वाले शुद्ध पानी के दूषित होने की संभावना थी। इस पहलू पर, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:

"हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग व्यक्तियों और निगम अधिकारियों को बुलाया। निगम अधिकारियों ने हमें सूचित किया कि इन व्यक्तियों और श्री मनोहर सिंह मारवाहा के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत कार्यवाही की गई थी। मारवाह डेयरी के खिलाफ, अंतिम आदेश पारित किया गया, जो सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के समक्ष पुनरीक्षण का विषय है, जिसमें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें म.प्र. बिजली बोर्ड को उनकी बिजली आपूर्ति बंद करने से रोक दिया गया है। हमने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजस्व से भी रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों और निगम अधिकारियों और मामले पर विचार करने के बाद, हमने पाया कि इन सभी डेयरियों को इन जल आपूर्ति लाइनों के आसपास रखना जबलपुर के लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि उनमें से अधिकांश को इन पाइपलाइनों से पानी मिलता है, जिस पर गाय / भैंस के

गोबर को डेरी संचालकों द्वारा संग्रहित किया जाता है।
जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषित पानी की आपूर्ति से शहर में
प्रदूषण फैलने की पूरी संभावना है।"

इसके बाद, उच्च न्यायालय ने डेयरी-मालिकों को किसी अन्य स्थान पर पुनर्वासित करने के प्रश्न पर विचार किया और प्रत्येक डेयरी-मालिक के मामले पर व्यक्तिगत रूप से विचार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"5. इसलिए, हमने इन डेयरी मालिकों को वर्तमान स्थान से पुनर्वासित करने की संभावना का पता लगाया ताकि गाय/भैंस का गोबर जल आपूर्ति लाइनों को प्रदूषित न कर सके। हमें सूचित किया गया है कि जहां तक डेयरी मालिक रामजी पाटिल का सवाल है, उनके वर्तमान डेयरी ग्वारीघाट में खसरा नंबर 15/3 पर स्थित है। उनके पास 107 मवेशी हैं। उनके पास गांव लालपुर में अन्य जमीनें हैं, यानी निपटान संख्या 641, ख. संख्या 134, 154/2, 135 और 136/3। इसलिए, यह निर्देशित किया जाता है कि

चूंकि रामजी पटेल के पास उपरोक्त खसरा संख्या वाली भूमि पर एक साइट उपलब्ध है, इसलिए उन्हें अपनी डेयरी को वर्तमान साइट से ग्वारीघाट के ख. नंबर 15/3 के उपरोक्त आज से दो महीने के भीतर उल्लिखित किसी भी साइट पर स्थानांतरित करना चाहिए।

6. शिव कुमार पटेल की डेयरी ग्वारीघाट में खसरा नंबर 15/2 पर है। उसके पास 18 मवेशी हैं। उनके पास ग्वारीघाट में खसरा नंबर 4 और 5/2 में भी जमीन है, जो वर्तमान स्थल से काफी दूर है। उन्हें आज से दो महीने के भीतर अपनी डेयरी को वर्तमान स्थान से उपरोक्त किसी भी स्थान पर हटाने का भी निर्देश दिया गया है।

7. हरिराम रजक की ग्वारीघाट में डेयरी है। उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। उसके पास 30 मवेशी हैं। उनके पास कोई वैकल्पिक जमीन नहीं है। इसलिए, हमने एस.डी.एम. जबलपुर से कहा है कि उन्हें उनकी डेयरी के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया है कि ग्राम

तिलहरी में एक भूमि उपलब्ध है, जिसका ख. पटवारी सर्किल क्रमांक 23/27 का क्रमांक 200/1, क्षेत्रफल लगभग 30.106 हेक्टेयर है । हमने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों से भी कहा कि वे जाकर पता करें कि उस क्षेत्र में पानी उपलब्ध है या नहीं। श्री ए.के. तिवारी, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जबलपुर और उनके कार्यकारी अभियंता दोनों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है और हाइड्रोलॉजिकल परीक्षण भी किया है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उस इलाके में भरपूर पानी है। इसलिए, जहां तक इस डेयरी को पानी की आपूर्ति का सवाल है, कोई कठिनाई नहीं होगी। निर्देशित किया जाता है कि हरिराम रजक नजूल अधिकारी, जबलपुर के समक्ष उचित आवेदन करेंगे और कलेक्टर, जबलपुर उसे उन्हें अपनी डेयरी चलाने के लिए 0.50 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने हेतु राज्य शासन को अग्रेषित करेंगे। राज्य सरकार को निर्देश है कि 0.50 हेक्टेयर जमीन को आज से एक माह के अंदर सामान्य प्रभार पर हरेराम रजक को आवंटित कर दिया जाये । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एक महीने की अन्य

अवधि के भीतर राज्य राजकोष की लागत पर उस स्थान पर उसके लिए ट्यूबवेल खोदेगा। हरeram रजक को दो माह की अवधि के भीतर वर्तमान स्थान से हटाकर नये आवंटित स्थल पर भेज दिया जायेगा। यह सारी कवायद राज्य सरकार और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आज से दो माह की अवधि के भीतर करनी होगी। यह सुनिश्चित करना निगम की जिम्मेदारी होगी कि हरeram रजक की डेयरी को आज से दो महीने के भीतर हटा दिया जाए और राज्य सरकार द्वारा इस अवधि के भीतर सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली जाएंगी।

8. दूसरे डेयरी मालिक श्री मनोहर सिंह मारवाह हैं। उन्हें भी तिलहरी में जमीन आवंटित की जाएगी। ग्वारीघाट में 0.148 हेक्टेयर भूमि पर उनकी डेयरी है। उनके पास 150 मवेशी हैं। उन्हें ख क्रमांक 200/1, पटवारी सर्किल क्रमांक 23/27, रकबा से तिलहरी में 30.10 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जाएगी। इस खसरे में से उन्हें 0.50 हेक्टेयर जमीन सामान्य शुल्क पर दी जाएगी। वह नजूल अधिकारी,

जबलपुर के समक्ष आवेदन करेगा और कलेक्टर उसके आवेदन को राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा। राज्य सरकार को भूमि का यह टुकड़ा श्री मनोहर सिंह मारवाहा को आवंटित करने का निर्देश दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग राज्य के खर्चे पर इस भूमि पर एक ट्यूबवेल भी खोदेगा। यह सारी कवायद आज से दो महीने की अवधि के भीतर होनी चाहिए। यह राज्य सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि ये सभी सुविधाएं उपरोक्त डेयरी मालिकों को उपलब्ध कराई जाएं। जबलपुर निगम की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह उपरोक्त सभी डेयरियों को आज से दो माह के भीतर उपरोक्त स्थानों से हटा दे।"

इस न्यायालय में दायर की गई विशेष अनुमति याचिकाओं पर, निम्नलिखित आदेश 3.2.1997 को पारित किया गया था:

"आई०ए० स्वीकार की जाती है। एसएलपी दाखिल करने की अनुमति दोनों मामलों में दी गई है।

विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ-साथ स्थगन आवेदन पर नोटिस जारी करें, रिटर्नेबल 3.3.1997 । इसके अलावा दस्ती सेवा द्वारा मंडल प्रबंधक, रेलवे ,जबलपुर को भी नोटिस जारी किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता पाइप लाइन के दोनों तरफ 20 फीट के भीतर गाय का गोबर या मूत्र जमा नहीं होने देंगे। याचिकाकर्ताओं की डेयरियों को स्थानांतरित करने के संबंध में विवादित निर्देश पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगाई जाए।"

5.9.1997 को एक खंडपीठ में माननीय एस.सी. अग्रवाल और जी.टी. नानावटी, जे.जे. ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"जबलपुर नगर निगम और मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा, जिसमें याचिकाकर्ताओं के उनकी डेयरियों के चारों ओर एक दीवार बनाने के प्रस्ताव पर ताकि पाइप लाइन के पास गोबर

फैलने से रोका जा सके पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया का संकेत दिया गया होगा। वे याचिकाकर्ताओं की डेयरियों के पास से गुजरने वाली पाइप लाइन की योजना भी दिखाएंगे। समय की अनुमति मांगी गई है। आठ सप्ताह के बाद सूचीबद्ध हो ।"

निम्नलिखित आदेश उसी पीठ द्वारा 7.11.1997 को पारित किया गया

था:

"इन याचिकाओं में उठने वाले सवालों में से एक यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने डेयरी फार्मों में रखे गए मवेशियों के गोबर और मूत्र से निपटा जा सकता है ताकि पाइपलाइन के पानी के प्रदूषण साथ-साथ पाइपलाइन के आसपास की मिट्टी के प्रदूषण को रोका जा सके । चूंकि इस पहलू पर रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है, इसलिए हम केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक विशेषज्ञ को नियुक्त करने का निर्देश देना उचित समझते हैं, जो साइट का निरीक्षण करने के बाद मवेशियों के मूत्र व गोबर के

उपचार के लिए उपाय सुझा सकता है, जिससे की इसे पाइपलाइन के ऊपर बहने से रोका जाए और पाइपलाइन से गुजरने वाले पानी के दूषित होने की संभावना को खत्म किया जाए।

केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दो महीने की अवधि के भीतर उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। याचिकाकर्ता ऐसे निरीक्षण और रिपोर्ट के लिए संयुक्त रूप से शुल्क का भुगतान करेंगे। इस आदेश की एक प्रति सचिव, केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाए।"

16.1.1998 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद, 20.2.1998 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस दिया गया है, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है और इसलिए, हमें नहीं पता कि

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हमारे आदेश दिनांक 7 नवम्बर 1997 के निर्देशों के अनुपालन में क्या कदम उठाए हैं। 27 मार्च 1998 को सूचीबद्ध किया गया। इस बीच, 27 मार्च 1998 को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक पत्र भेजा जाए।"

इस न्यायालय द्वारा 27.3.1998 को पारित आदेश इस प्रकार है:

"इस न्यायालय द्वारा 7 नवंबर, 1997 के आदेश में दिए गए निर्देशों के जवाब में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. एस.पी. चक्रवर्ती का एक हलफनामा दायर किया गया है। उक्त हलफनामे में इसके लिए उपाय सुझाए गए हैं गोबर, मवेशियों के मूत्र और डेयरियों के अन्य अपशिष्ट जल का उपचार किया जाए ताकि पाइप लाइन से बहने वाले पानी के दूषित होने की संभावना को खत्म किया जा सके। डॉ. एस.एन. नेमा, जोनल अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण द्वारा श्री चक्रवर्ती के उक्त हलफनामे से एक राय

होते हुए एक शपथ पत्र दायर किया गया है। इन परिस्थितियों में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को श्री चक्रवर्ती के हलफनामे के अनुसार उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों के संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता इसका भार वहन करेंगे। उक्त परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विद्वान वकील ने परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय देने की प्रार्थना की। मई 1998 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाये ।"

31.8.1998 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विजय पंजवानी ने कहा कि परियोजना रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह कहा गया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें और उनके द्वारा सुझाए गए उपायों को क्रियान्वित और लागू किया जाएगा। इसलिए, न्यायालय ने 6.10.1998 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"पक्षों के विद्वान वकील द्वारा यह कहा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें और सुझाए गए उपायों को क्रियान्वित एवं लागू किया जाएगा। सीपीसीबी द्वारा किए गए 93,000 रुपये के खर्च का भुगतान मारवाह डेयरी, रामजी डेयरी, हरिराम रजक और शिवप्रसाद पटेल द्वारा सीपीसीबी को 6 सप्ताह के भीतर समान भाग से किया जायेगा। 3 महीने के बाद सूचीबद्ध किया जाये।"

जब मामला 8.1.1999 को सूचीबद्ध हुआ, तो न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"93,000 रुपये (तिरानबे हजार रुपये) की लागत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कर दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर श्री रामजी पटेल के 3 जनवरी, 1999 के हलफनामे में कहा गया है कि उन्होंने प्रवेश किया है 45 घन मीटर क्षमता के बायोगैस प्लांट के निर्माण के लिए सनराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है और इसकी सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास

निगम लिमिटेड के कार्यपालन अभियंता को भी दे दी गई है। याचिकाकर्ता ने सब्सिडी के लिए भी आवेदन किया है।

बायो गैस संयंत्र के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड मौके पर बायो-गैस संयंत्र के निर्माण की निगरानी करेगा और 2 महीने के बाद इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 27 मार्च, 1998 की रिपोर्ट में शामिल अन्य सिफारिशों का भी याचिकाकर्ताओं द्वारा पालन किया जाएगा। 2 महीने बाद सूचीबद्ध किया जाये।”

इसके बाद समय-समय पर बायो गैस प्लांट आदि के निर्माण का काम पूरा करने का समय बढ़ाया गया और भारत सरकार को कृषि मंत्रालय के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को बायो गैस प्लांट के लिए 64,000 रुपये की सब्सिडी राशि जारी करने का भी निर्देश दिया गया।

इस बीच, डॉ. एम.आर. तिवारी, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, जबलपुर का दिनांक 25.3.1998 का एक हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था:

4. यह कि 21/10/97 को एक बैठक आयोजित की गई थी और निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:

"पूर्ण बहुमत से यह निर्णय लिया गया है कि भूकंप के कारण तथा प्रदूषण की दृष्टि से शहर के पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने के लिए नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली सभी डेयरियों को नवंबर 1997 के अंत तक शहर की सीमा से बाहर कर दिया जाए।"

इसके साथ ही लालपुर में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पाइप लाइन के पास जो डेयरियां चल रही हैं उन्हें भी हटाया जाए क्योंकि पेयजल पाइप लाइन में प्रदूषण की कुछ शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। C नागरिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह कार्यवाही अत्यंत आवश्यक है।'

संकल्प दिनांक 21/10/97 की एक प्रति अनुलग्नक आर-4-1 के रूप में अंकित है।"

5. यह कि स्थायी समिति, नगर निगम, जबलपुर के संकल्प के अनुसार कुछ डेयरियों को हटा दिया गया है और कुछ डेयरियों को हटाने की कार्यवाही अभी भी प्रक्रियाधीन है।"

नगर निगम की बैठक की कार्यवाही, जिसमें 21.10.1997 को एक संकल्प अपनाया गया था, भी संलग्न की गई थी जिसमें संकेत दिया गया था कि नगर निगम ने एक संकल्प अपनाया था कि नगर निगम सीमा के भीतर सभी डेयरियों को जबलपुर शहर से नवम्बर 1997 के अंत तक हटा दिया जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग पाइपलाइन के पास लालपुर में डेयरियों को भी हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि पेयजल एफ पाइपलाइन में प्रदूषण के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश मवेशी (नियंत्रण) अधिनियम, 1978 27 जनवरी, 1978 से जबलपुर की नगर निगम सीमा के भीतर लागू किया गया था, और आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर द्वारा 24 सितंबर, 1979 को जारी अधिसूचना में, यह कहा गया था कि मवेशियों को अधिसूचना में निर्धारित सूची में निर्दिष्ट गांवों को छोड़कर, जबलपुर नगर निगम की सीमा के भीतर नहीं रखा जा सकता है। इस सूची में ग्वारीघाट और लालपुर गांव भी शामिल थे, लेकिन 21.10.1997 को नगर निगम द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुसरण में, दोनों गांवों, अर्थात् ग्वारीघाट और लालपुर को गजट में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से "अपवादित गांवों" की सूची से बाहर कर दिया गया था।

उपरोक्त अधिसूचना के मद्देनजर, जिसके द्वारा ग्वारीघाट और लालपुर गांवों को "अपवर्जित गांवों" से बाहर रखा गया था, जहां मवेशियों को रखा जा सकता था, यह तर्क राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अनूप जी चौधरी ने दिया कि याचिकाकर्ताओं को जबलपुर शहर की नगर निगम सीमा के बाहर स्थानांतरित होना होगा यदि वे अपनी डेयरियां को रखने का इरादा रखते हैं, लेकिन डेयरियां, विशेष रूप से उस स्थान पर जहां उन्होंने अपना व्यवसाय स्थापित किया है, चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, न केवल इस कारण से कि ग्वारीघाट और लालपुर दोनों गांव नगर निगम की सीमा के भीतर आते हैं और इस बीच, घनी आबादी वाले हो गए हैं, बल्कि इसलिए भी कि मवेशियों को मुख्य पाइपलाइन के समीप रखना जो लालपुर निस्पंदन संयंत्र से जबलपुर शहर को पीने के पानी की आपूर्ति करती है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होगी क्योंकि उस पाइपलाइन के माध्यम से आने वाले पानी के याचिकाकर्ताओं द्वारा पाले गए सैकड़ों मवेशियों के गोबर और मूत्र से दूषित होने की संभावना है। यही रुख नगर निगम, जबलपुर का भी है, जिनकी ओर से विद्वान वकील श्री रंजन मुखर्जी ने दलील दी कि नगर निगम, जबलपुर द्वारा वैधानिक शक्ति के प्रयोग के अंतर्गत, जिसके द्वारा नगर निगम की सीमा के भीतर डेयरियों की स्थापना करना या मवेशियों को रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा

दिया गया है, याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकते कि वे अभी भी विवादित स्थलों पर अपनी डेयरियां बनाए रखने के हकदार हैं।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन ने तर्क दिया कि दिनांक 31.10.1997 का संकल्प, जिसे नगर निगम, जबलपुर द्वारा अपनाया गया था, शक्ति का एक रंगीन प्रयोग था, क्योंकि 1978 में जारी अधिसूचना में वर्णित "अपवर्जित गांवों" से ग्वारीघाट और लालपुर को बाहर करना, इस न्यायालय में वर्तमान याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान ही किया गया है जिसमें एक अंतरिम आदेश भी दिया गया था कि उच्च न्यायालय का निर्णय क्रियान्वित नहीं किया जायेगा। यह तर्क दिया गया है कि ग्वारीघाट और लालपुर में डेयरियां नहीं चलाने का प्रस्ताव अपनाकर इस संबंध में कार्यवाही को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि प्रस्ताव केवल याचिकाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनाया गया था जिनके अधिकार वर्तमान कार्यवाही में इस न्यायालय के निर्णय के अधीन थे, इसे रद्द करने व निष्प्रभावी करने योग्य है।

यह भी तर्क दिया गया है कि 1978 की अधिसूचना में "अपवर्जित गांवों" की सूची में कई गांव शामिल थे, लेकिन संकल्प केवल ग्वारीघाट और लालपुर गांवों के संबंध में अपनाया गया था जहां वर्तमान याचिकाकर्ता अपनी डेयरी चला रहे हैं। यह तर्क दिया गया है कि नगर निगम द्वारा कोई

कारण नहीं दिखाया गया है कि, क्यों अन्य गांवों में अभी भी डेयरियों को चलाने की अनुमति है, जबकि वे अन्य गांव भी जबलपुर की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षों के मध्य डेयरियों को चलाने के संबंध, जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा उस समय नगर निगम जबलपुर की सीमा के भीतर चलाई जा थी, रही पहले भी मुकदमा चला है। 1971 में, डेयरियों को स्थानांतरित करने के लिए एक रिट याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसने अपने फैसले दिनांक 6.2.1976 द्वारा निगम को जबलपुर की नगरपालिका सीमा के बाहर तीन भूखंड आरक्षित करने का निर्देश देते हुए एक योजना बनाई, जहां डेयरी-मालिक उनकी डेयरियां शिफ्ट करें. नगर निगम, जबलपुर और डेयरी-मालिकों के बीच विकास शुल्क के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर, जिसे डेयरी-मालिकों को भुगतान करना आवश्यक था, लगभग 89 डेयरी द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक और रिट याचिका दायर की गई थी। चूंकि डेयरी-मालिकों को जबलपुर की नगरपालिका सीमा के बाहर अपनी डेयरी स्थापित करने और चलाने के लिए अपनी व्यवस्था करने का विकल्प दिया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने 2.1.1976 को रिट याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद, डेयरी-मालिकों ने नगरपालिका सीमा के बाहर जमीन के भूखंड खरीदे और अपनी डेयरियां स्थापित कीं। याचिकाकर्ताओं

द्वारा 1982 में लालपुर और ग्वारीघाट गांवों में भूमि के भूखंड खरीदे गए थे और उन्होंने अपनी डेयरियों को उन गांवों में स्थानांतरित कर दिया था जिन्हें पहले ही मध्य प्रदेश मवेशी (नियंत्रण) अधिनियम, 1978 के प्रभाव से बाहर रखा गया था।

याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिकाओं में कहा है कि श्री के.के. नायकर जो की एक प्रतिष्ठित मिमिक्री कलाकार हैं ने ग्वारीघाट में जमीन का एक प्लॉट खरीदा और एक घर बनाया, जो याचिकाकर्ताओं में से एक की डेयरी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था और श्री नायकर को अपने घर के पास डेयरी की उपस्थिति पसंद नहीं थी। उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए उपद्रव को हटाने के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, जबलपुर के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जी धारा 133 के तहत शिकायत दर्ज की। जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत कार्यवाही उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वह निर्णय आया जिस पर हमारे समक्ष विवाद हो रहा है।

ऊपर दिए गए तथ्यों से यह देखा जा सकता है कि जब इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर की गईं, तो लालपुर और ग्वारीघाट गाँव "अपवादित गाँवों" की सूची में थे जहाँ डेयरियाँ स्थापित की जा सकती थीं और चलाई जा सकती थीं और मवेशियों को रखा जा सकता

था। चूंकि रिट याचिका में यह कहा गया था कि लालपुर में निस्पंदन संयंत्र से मुख्य जल पाइपलाइन याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित डेयरियों के पास से गुजरती है, जिसके कारण पीने के पानी के गोबर और सैकड़ों मवेशियों के मूत्र से दूषित होने की संभावना है। वहां रखे गए मवेशियों के मामले में, इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करते हुए, एक परियोजना तैयार करने की संभावना पर विचार किया ताकि सतह से लगभग चार फीट नीचे पहले से ही बिछाई गई पाइपलाइनों के माध्यम से ले जाए जाने वाले पानी के प्रदूषण/संदूषण की संभावना को पूरी तरह से रोका जा सके। यही कारण है कि इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 7.11.1997 द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस मामले पर विचार करने और रिपोर्ट करने का निर्देश दिया कि क्या पाइपलाइन द्वारा लाए गए पीने के पानी में प्रदूषण की संभावना को किसी भी उपकरण द्वारा खारिज किया जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी समर्थन प्राप्त था, न्यायालय ने उस उद्देश्य के लिए एक परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया। परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह बताया गया था कि वे परियोजना को लागू करेंगे और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई अन्य सभी सिफारिशों को पूरा करेंगे, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को परियोजना को लागू करने का निर्देश दिया जिसमें अन्य

बातों के अलावा , गोबर गैस (बायो गैस) प्लांट की स्थापना निहित थी । याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसके निरीक्षण शुल्क आदि के लिए 93,000 रुपये का भुगतान करने के अलावा, एक गोबर गैस संयंत्र का निर्माण भी किया और सुझाव के अनुसार कुछ अतिरिक्त भूमि की खरीद के लिए एक समझौता किया। इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर गोबर गैस प्लांट का निर्माण पूरा करने का समय बढ़ाया गया और अंततः याचिकाकर्ताओं की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया कि गोबर गैस प्लांट का निर्माण और स्थापना हो चुकी है। निर्माण इस न्यायालय के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की देखरेख में किया गया था और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने अपनी प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। इस आशय का एक हलफनामा भी कोर्ट के समक्ष दायर किया गया था कि गोबर गैस प्लांट चालू हो गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्मित गोबर गैस प्लांट की लागत रुपये 5 लाख से अधिक है।

इस न्यायालय में याचिकाओं के लंबित होने के मध्य, नगर निगम ने प्रश्नगत डेयरियां जहाँ स्थित हैं उन दो गाँवों, अर्थात्, लालपुर और ग्वारीघाट को "अपवादित" सूची से बाहर करने के लिए एक संकल्प अपनाया ताकि डेयरियों को इन दोनों गाँवों से स्थानांतरित किया जा सके और नगर निगम, जबलपुर की सीमा के बाहर कहीं और स्थापित किया जा सके। इस आशय का एक शपथ पत्र प्रथम बार, मार्च 1998 में नगर

निगम, जबलपुर की ओर से दायर किया गया था। लेकिन उस संकल्प के आधार पर जारी अधिसूचना अभी भी न्यायालय के समक्ष दायर नहीं की गई है और इसे बहस के दौरान न्यायालय के समक्ष रखा गया है।

जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि नगर निगम, जबलपुर द्वारा अपनाया गया संकल्प और इसके आधार पर जारी गजट अधिसूचना शक्ति के दुरुपयोग के कारण या इसे अलग तरीके से कहें तो सत्ता के रंगीन प्रयोग के कारण रद्द किये जाने योग्य है, राज्य सरकार साथ ही नगर निगम, जबलपुर की ओर से यह कहा गया कि यह संकल्प सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में अपनाया गया था और इसे केवल इसलिए सत्ता का रंगीन प्रयोग नहीं कहा जा सकता क्योंकि कार्यवाही इस न्यायालय में लंबित थी।

शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नगर निगम का वैधानिक कर्तव्य है और प्रत्येक नागरिक को जल की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। ऐसी स्थिति में, जहां समुदाय का हित शामिल हो, व्यक्तिगत हित को समुदाय या आम जनता के हित के आगे झुकना चाहिए। चूंकि मवेशी (नियंत्रण) अधिनियम, 1978 पहले से ही जबलपुर शहर की नगर निगम सीमा के भीतर लागू है, इसलिए डेयरियां स्थापित नहीं की जा सकती हैं और मवेशियों को नहीं रखा जा सकता है जिसके कारण वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन व सार्वजनिक उपद्रव हो। लेकिन न्यायालय इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं

कर सकता कि याचिकाकर्ताओं ने, जो पहले ही एक जगह से उखाड़ दिए गए थे, और वह भी न्यायपालिका के आदेश पर, ऐसी जगह पर डेयरियाँ स्थापित की थीं जहाँ ऐसी गतिविधि निषिद्ध नहीं थी। मवेशी (नियंत्रण) अधिनियम, 1978 के तहत जारी अधिसूचना में संलग्न गांवों की सूची में, लालपुर और ग्वारीघाट अन्य गांवों के अलावा ऐसे गांव थे, जहां ऐसी गतिविधि कानूनी रूप से की जा सकती थी। 21.10.1997 को नगर निगम द्वारा अपनाए गए एक संकल्प के आधार पर इन गांवों को वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उस सूची से बाहर कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने पहले ही इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में गोबर गैस प्लांट स्थापित करने में बड़ी रकम का निवेश करते हुए पांच लाख रुपये से अधिक का खर्चा किया व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के निरीक्षण शुल्क के रूप में 93,000 रुपये अदा किये।

21.10.1997 के प्रस्ताव की वैधता, जैसा कि 19.3.1999 की राजपत्र अधिसूचना में दर्शाया गया है, पर वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर इन कार्यवाहियों में कानूनी रूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता है, जिन्होंने यह भी बताया कि यद्यपि प्रस्ताव केवल लालपुर गांव के संबंध में लाया गया था, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में ग्वारीघाट गांव का भी उल्लेख है। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिसूचना को चुनौती देने का इरादा है, तो उन्हें उचित कार्यवाही शुरू करनी होगी जिसमें

उन्हें ऐसी चुनौती के लिए आधार तैयार करना होगा ताकि राज्य सरकार। या, उस मामले के लिए, नगर निगम के पास अपना जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर हो सकता है, खासकर जब उन्हें यह भी बताना होगा कि केवल इन दो गांवों को 1978 की अधिसूचना में निर्धारित "अपवर्जित गांवों" की सूची से क्यों बाहर निकाला गया था और अन्य गांवों में डेयरी स्थापित करने की गतिविधि पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया, जबकि वे अन्य गांव भी जबलपुर शहर की नगर निगम सीमा के भीतर थे।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रावधान के अंतर्गत विशेष अनुज्ञा याचिकाओं का निपटारा करते हैं।

(क) सरकारी राजपत्र में 19.3.1999 में प्रकाशित अधिसूचना के मद्देनजर, संबंधित स्थान पर या उस मामले में, लालपुर और ग्वारीघाट गांवों में दूध डेयरियां और मवेशियों को रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही किसी को उन गांवों में इसे स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है विशेष रूप से मुख्य पाइपलाइन के निकट है जिसके माध्यम से जबलपुर शहर को पेयजल आपूर्ति की जाती है।

(ख) क्या सरकारी राजपत्र में 19.3.1999 में प्रकाशित अधिसूचना वैध है या नहीं इसका निर्णय वर्तमान कार्यवाही में नहीं किया जा सकता क्योंकि उस संबंध में कोई दलील नहीं है। याचिकाकर्ताओं के पास उन सभी

आधारों पर इसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए उचित कार्यवाही शुरू करके अधिसूचना को चुनौती देने का अधिकार होगा, जो हमारे सामने मौखिक रूप से आग्रह किया गया है, जिसमें यह आधार भी शामिल है कि अधिसूचना नगर निगम के हाथों में सत्ता के एक रंगीन अभ्यास को दर्शाती है, या इसका इरादा इस न्यायालय में लंबित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को इस निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर ऐसी कार्यवाही शुरू करनी होगी। इन याचिकाओं पर इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश तीन महीने और दो सप्ताह तक जारी रहेंगे, ताकि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का रुख कर सकें और अंतरिम राहत के लिए उचित आवेदन कर सकें।

(ग) चूंकि इन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान नगर निगम द्वारा दिनांक 19.3.1999 की अधिसूचना उस चरण में जारी की गई थी जब इस न्यायालय ने पहले ही याचिकाकर्ता को विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या (सी) 2 २९२७/९७ में बायो गैस प्लांट स्थापित करने की अनुमति दे दी थी अनुमति दे दी थी और याचिकाकर्ता का इसमें रूपए 5,86,000 का व्यय हुआ है, नगर निगम, जबलपुर, सरकार द्वारा पहले ही भुगतान की गई सब्सिडी की राशि में कटौती करने के बाद, याचिकाकर्ता को उस राशि का भुगतान करेगा जो दिनांक 19.3.1999 की अधिसूचना के अनुसार नए स्थानों पर उनके स्थानांतरण के समय और उच्च न्यायालय द्वारा उक्त

अधिसूचना को उनकी चुनौती को खारिज किए जाने की स्थिति में व्यय होगी। वह और विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या (सी) 2२९२७/९७ याचिकाकर्ता नंबर 1 भी याचिकाकर्ताओं के पृथक मामलों के दौरान प्रश्नगत निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए सभी लाभों के हकदार होंगे

(घ) याचिकाकर्ताओं, श्री शिव कुमार पटेल और हरि राम रजक ने एस.एल.पी. (सी) संख्या 2926/97 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संदर्भ में नए स्थानों पर स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त की है। परिणामस्वरूप, उनकी ओर से विशेष अनुमति याचिका को बल न देने के कारण खारिज कर दिया गया ऐसा माना जाएगा।

याचिकाएं खारिज।

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ज्योति रखावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)